न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 25/19 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2019/00132

उनवान

माया पत्नि मुन्शी जाति कुशवाह निवासी ढाना ग्राम पंचायत ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर। .....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती हरमाया पत्नि स्व0 श्री मिट्ठन जाति ठाकुर निवासी ढाना ग्राम पंचायत ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर। .....असल रेस्पोंडेंट।
2. कैला पत्नि रामदयाल } कौम ठाकुर निवासी ढाना तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
3. रामदयाल पुत्र भगवान सिंह }
4. प्रेम पुत्र सोनाराम कौम गुर्जर निवासी नगला खार तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. शाखा प्रबंधक आर.जी.बी.बैंक महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक संजय पैलेस आगरा उत्तर प्रदेश।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 10.06.19 उनवान हरमाया बनाम माया मु0न0 138/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गंगाराम शर्मा एडवोकेट उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्रीं जे0पी0 भण्डारी उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 10.06.19 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 970, 975 वाके ग्राम ढाना तहसील रूपवास में स्थित है। जिसके प्रार्थी असल रैस्पो0 के पति 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। प्रार्थी असल रैस्पो0 के पति का देहान्त करीब 6 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक के वारिस का अभी दाखिला खारिज नहीं हुआ है। विवादित आराजी से अप्रार्थी अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु वह एक झगडालू एवं बदमाश किस्म के हैं जो लटठ के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि रैस्पो0 हरमाया को कोई दावा लाने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि विवादित आराजी बाबत् उनके नाम, उनके पति के स्थान पर नहीं आये हैं। विवादित आराजी अभी उनके पति के नाम ही दर्ज है। पहले नामान्तकरण कराना चाहिये था, तब कोई दावा प्रस्तुत करते। प्रकरण में बेटियो को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन देने में त्रुटि की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अपील में सजरा पेश नहीं किया। जिससे उनके कथन साबित हो कि बेटियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट लट्ठ के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वर्तमान में रैस्पो0 के नाम दर्ज ना होकर, उनके पति के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट की दौराने बहस आपत्ति रही है कि उनके द्वारा बेटियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 के विवादित आराजी में बनने वाले हिस्से तक कब्जा काश्त में हस्तक्षेप ना करने हेतु अपीलाण्ट को पाबन्द किया है। हम पाते हैं कि स्वयं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में जवाब प्रार्थना पत्र में रैस्पो0 को मिटठ्न की पत्नि नहीं होने बाबत् तथ्य से इंकार नहीं किया है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि रैस्पो0 मिटठ्न की पत्नि है। परन्तु राजस्व अभिलेख में अभी उनके पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार नहीं हुआ है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों महत्वपूर्ण घटको प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ बाबत् कोई विवेचना नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम उक्त तथ्यों पर पुनः रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2019 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं प्रार्थना पत्र 212 के तीनो घटको का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार विवेचना करते हुये, पुनः अधिकतम तीन माह में विधि अनुसार एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर